न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 158/2017

1. गुरमेल सिंह
2. सुबेग सिंह
3. कुलवीर सिंह

} पिसरान श्री हरी सिंह जाति तरखान निवासीयान मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. हरीसिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह जाति तरखान निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. जरनैल कौर (पुत्री श्री हरीसिंह) पत्नी श्री प्यारा सिंह जाति तरखान निवासी चक 2 बी बड़ी, कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. सुखविन्द्र कौर (पुत्री श्री हरीसिंह) पत्नी श्री कमलजीत सिंह जाति तरखान निवासी चक 5 एम.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर (राज.)

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ऋषिपाल जोषी अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 18.09.2017**

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 4 बी छोटी पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के खाता संख्या 12/13 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 21 ता 24 (प्रत्येक में 0.253 हैक्टर), 25/.240 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 25/.253 हैक्टर एवं इसी चक 4 बी छोटी के खाता संख्या 71/19 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 16/.240 हैक्टर, 17 ता 20 (प्रत्येक में 0.253 हैक्टर) नहरी, मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 16 की 0.252 हैक्टर कुल 1.505 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह के नाम दर्ज कागजात राज है। वादीगण के पिताजी प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि में से 2.770 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण के पिता जोगेन्द्रसिंह से इन्तकाल संख्या 247 दिनांक 18.03.2005 द्वारा प्राप्त हुई है एवं 0.240 हैक्टर कृषि भूमि उक्त विरास्तन सम्पति की आय से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खरीद की गई है जो इन्तकाल संख्या 204 दिनांक 12.06.2002 द्वारा दर्ज हुई है। उक्त कृषि भूमि विरास्तन जायदाद है। वादीगण का इस भूमि में जन्म से ही हक व अधिकार है जिसे वादीगण घोषित करवाने के अधिकारी है। चक 4 बी छोटी के खाता संख्या 12/13 एवं खाता संख्या 71/19 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त वर्णित चक 4 बी छोटी की कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया है :–

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
गुरमेल सिंह पुत्र श्री हरीसिंह जाति तरखान निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर	चक 4 बी छोटी के खाता संख्या 71/19 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 16/.013, 17/.013, 18/.013, 19/.013 20/.228 मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 16/.253 एवं खाता संख्या 12/13 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 21/.253, 22/.012 मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 25/.253 कुल 1.051 हैक्टर नहरी
सुबेग सिंह पुत्र श्री हरीसिंह जाति तरखान निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर	चक 4 बी छोटी के खाता संख्या 71/19 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 16 /.227, 17/.240, 18/.240, 19/.240, 20/.025 कुल 0.972 हैक्टर नहरी
कुलवीर सिंह पुत्र श्री हरीसिंह जाति तरखान निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर	चक 4 बी छोटी के खाता संख्या 12/13 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 22/.241, 23/.253, 24/.253 कुल 0.747 हैक्टर नहरी
हरीसिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति तरखान निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर	चक 4 बी छोटी के खाता संख्या 12/13 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 25/.240 कुल 0.240 हैक्टर नहरी

घरेलू बंटवारा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादीगण को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है।

उक्त विभाजन में आई भूमि वादीगण के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादीगण को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादीगण उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकते है, ना ही वह उस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकते है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 हरीसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1, उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की वादीगण को धमकियां देता रहता है ।

प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादीगण अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादीगण ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 12.08.2017 को वादीगण को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है। यही बिनाय मुखास्मत है।

प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादीगण की बहने होने के कारण तथा प्रतिवादी संख्या 4 लैण्ड होल्डर होने के कारण औपचारिक पक्षकार बनाये गये है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

1. प्रतिवादी संख्या 1 हरीसिंह के नाम दर्ज चक 4 बी छोटी पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 12/13 की 1.505 हैक्टर एवं खाता संख्या 71/19 की 1.505 हैक्टर कृषि भूमि का वाद पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित टेबल अनुसार विभाजन घोषित किया जावे।

लगातार 3

2. उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग–अलग लगान कायम किया जावे।
3. वादीगण को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।
4. अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के हित में समझे दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोंक अदालत की भावना आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक दिनांक 08.09.2017 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 की पहचान श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 हरीसिंह के नाम दर्ज चक 4 बी छोटी पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 12/13 की 1.505 हैक्टर एवं खाता संख्या 71/19 की 1.505 हैक्टर कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया हुआ है :–

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
गुरमेल सिंह पुत्र श्री हरीसिंह जाति तरखान निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर	चक 4 बी छोटी के खाता संख्या 71/19 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 16/.013, 17/.013, 18/.013, 19/.013, 20/.228 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 16/.253 खाता संख्या 12/13 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 21/.253, 22/.012, मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 25/.253 कुल 1.051 हैक्टर नहरी
सुबेग सिंह पुत्र श्री हरीसिंह जाति तरखान निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर	चक 4 बी छोटी के खाता संख्या 71/19 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 16/.227, 17/.240, 18/.240, 19/.240, 20/.025 कुल 0.972 हैक्टर नहरी
कुलवीर सिंह पुत्र श्री हरीसिंह जाति तरखान निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर	चक 4 बी छोटी के खाता संख्या 12/13 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 22/.241, 23/.253, 24/.253 कुल 0.747 हैक्टर नहरी
हरीसिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति तरखान निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर	चक 4 बी छोटी के खाता संख्या 12/13 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 25/.240 कुल 0.240 हैक्टर नहरी

उक्त घरेलू बंटवारा अनुसार वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

राज पैरोकार/नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि भूमि का विवाद आपसी पक्षकारान के मध्य है। पक्षकारान में राजीनामा हो चुका है राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य हितो को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई. आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई. आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि चक 4 बी छोटी पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के खाता संख्या 12/13 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 21 ता 24 (प्रत्येक में 0.253 हैक्टर), 25/.240 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 25/.253 हैक्टर एवं इसी चक 4 बी छोटी के खाता संख्या 71/19 के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 16/.240 हैक्टर, 17 ता 20 (प्रत्येक में 0.253 हैक्टर) नहरी, मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 16 की 0.252 हैक्टर कुल 1.505 हैक्टर नहरी

लगातार 5

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह के नाम दर्ज कागजात राज है। जो जद्दी जायदाद होनें के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादीगण एवम् प्रतिवादीगणों के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के वाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत 4 बी छोटी के खाता संख्या 71/19 व 12/13 में 1.051 हैक्टर भूमि का वादी संख्या 1 गुरमेल सिंह पुत्र श्री हरी सिंह जाति तरखान निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 71/19 में 0.972 हैक्टर भूमि का वादी संख्या 2 सुबेग सिंह पुत्र श्री हरी सिंह जाति तरखान निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 12/13 में 0.747 हैक्टर भूमि का वादी संख्या 3 कुलवीरसिंह पुत्र श्री हरी सिंह जाति तरखान निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर तथा खाता संख्या 12/13 में 0.240 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 हरीसिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह जाति तरखान निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत उभयपक्ष की सहमती के आधार पर निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1. वादी सख्या 1 गुरमेल सिंह पुत्र श्री हरी सिंह जाति तरखान निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
4 बी छोटी	71/19	51	16/.013, 17/.013, 18/.013, 19/.013, 20/.228	0.280 हैक्टर
		52	16/.253	0.253 हैक्टर
	12/13	51	21/.253, 22/.012	0.265 हैक्टर
		52	25/.253	0.253 हैक्टर
कुल भूमि				1.051 हैक्टर

2. वादी सख्या 2 सुबेग सिंह पुत्र श्री हरी सिंह जाति तरखान निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
4 बी छोटी	71/19	51	16/.227, 17/.240, 18/.240, 19/.240, 20/.025	0.972 हैक्टर

3. वादी सख्या 3 कुलवीरसिंह पुत्र श्री हरी सिंह जाति तरखान निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
4 बी छोटी	12/13	51	22/.241, 23/.253, 24/.253	0.747 हैक्टर

लगातार 6

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

4. प्रतिवादी सख्या 1 हरीसिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह जाति तरखान निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
4 बी छोटी	12/13	51	25/.240	0.240 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 18.09.2017 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर